

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं० संख्या-नि०को० कटिहार-59/2014-.....(नि०को०)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

श्री सुनील कुमार भण्डारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आजमनगर, कटिहार के विरुद्ध कर्तव्यहीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवमानना, अनाधिकृत अनुपस्थिति, मनमाना, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अदक्षता संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-345/विधि, दिनांक-31.01.2014 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-373 (नि०को०) दिनांक-02.07.2014 द्वारा श्री भण्डारी से प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भण्डारी द्वारा दिनांक-17.07.2014 को अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. श्री भण्डारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री भण्डारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-118 (नि०को०) दिनांक-13.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, कटिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. अपर समाहर्ता, कटिहार के पत्रांक-790, दिनांक-27.09.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री भण्डारी से विभागीय पत्रांक-04 (नि०को०) दिनांक-02.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री भण्डारी द्वारा अपना द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक-16.01.2019 को विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री भण्डारी के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री भण्डारी से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री भण्डारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापक-728(नि०को०) दिनांक-31.10.2019 द्वारा श्री भण्डारी के विरुद्ध "संचयी प्रभाव के साथ 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर रोक" की शास्ति अधिरोपित/संसूचित किया गया।

6. उक्त संसूचित दंड के विरुद्ध श्री भण्डारी द्वारा अपीलीय व रिविजनल प्राधिकार-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के न्यायालय में सर्विस अपील वाद सं०-33/2019-20 दायर किया गया। इसकी समीक्षा रिविजनल प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षोपरान्त श्री भण्डारी के पुनरीक्षण आवेदन को विभागीय पत्रांक-42(11) दिनांक-18.05.2022 से अस्वीकृत किया गया।

7. उपरोक्त पारित आदेश के विरुद्ध श्री भण्डारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-9740/2022 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-13.03.2026 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया :-

In the present case, this Court is of the considered view that the disciplinary authority has failed to apply its mind in accordance with the mandate of Rule 18(4) of the CCA Rules, 2005. For this reason, this Court finds that the order contained in Memo No. 728 dated 31.10.2019 cannot be sustained in the eyes of law. The appellate authority has also failed to apply its judicial mind and has merely observed that the explanation submitted in response to the second show cause notice was not found satisfactory.

"For the aforesaid reasons, both the orders, namely the disciplinary order dated 31.10.2019 as contained in Memo No.728 (NiO ko) passed by respondent No.3, namely, the Additional Secretary, Revenue and Land Reform Department, Govt. of Bihar, Patna (Annexure-11) and the appellate order dated 17.05.2022 passed by the learned court of the Appellate/Revisional Tribunal cum Hon'ble Minister, Revenue and Land Reform Department, Govt. of Bihar, Patna in Service Appeal Case No.33/2019-20 (Annexure-12), are hereby set aside.

Accordingly, the matter is remanded back to the disciplinary authority to pass a fresh order, after due consideration of the second show-cause reply of the petitioner, within a period of 90 days from the date of this order."

8. उक्त सी०डब्लू०जे०सी० में पारित आदेश के आलोक में श्री सुनील कुमार भण्डारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आजमनगर, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त चकबंदी पदाधिकारी, दिनारा, रोहतास का अभ्यावेदन दिनांक-03.04.2026 विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक-16.01.2019 पर पुनर्विचार कर सभी आरोपों से मुक्त करते हुए रोकी गई वेतनवृद्धियों सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

9. अभ्यावेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा की प्रासंगिक समीक्षा-माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में श्री भण्डारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 03.04.2026 तथा उनके पूर्व समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 16.01.2019 में उठाए गए बिंदुओं का बिंदुवार सम्यक अनुशीलन किया गया।

आरोप सं०-01 (RTPS नामांतरण वादों को लंबित रखने के कारण अर्थदंड जमा नहीं करना)

आरोपी पदाधिकारी का पक्ष- अर्थदंड माफी हेतु समाहर्ता को आवेदन दिया गया था तथा 10 नामांतरण वादों को ससमय निष्पादन करने में प्रक्रियात्मक कारणों से विलंब हुआ।

समीक्षा/निष्कर्ष- आरोपी पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदंड राशि के भुगतान का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही सक्षम प्राधिकार द्वारा दंड माफी का कोई आदेश समर्पित किया गया। अतएव यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-02 (अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ना एवं मेगा शिविर बैठक से अनुपस्थिति रहना)-

आरोपी पदाधिकारी का पक्ष- इनके द्वारा अवकाश आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन को अग्रसारित कर सक्षम प्राधिकार को भेजा दिया गया था, जिसके कारण चले गए। दिनांक 26.11.2013 की बैठक में अनुपस्थिति का कारण 'विस्मरण' (ध्यान से उतर जाना) बताया गया।

समीक्षा/निष्कर्ष- सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति के बिना मुख्यालय छोड़ना तथा अति-महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में न आने हेतु 'ध्यान से उतर जाने' का तर्क देना घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतएव यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-03 (उच्च न्यायालय से जुड़े संवेदनशील मामलों की बैठक में अनुपस्थिति रहना)-

आरोपी पदाधिकारी का पक्ष- दिनांक 07.12.2013 से 14.12.2013 तक अनुपस्थित रहने का आवेदन समर्पित किया गया था, इसलिए मुख्यालय में नहीं रहने के कारण 14.12.2013 की बैठक में शामिल नहीं हो सके।

समीक्षा/निष्कर्ष— माननीय उच्च न्यायालय में लंबित संवेदनशील मामलों की समाहर्ता स्तरीय समीक्षा बैठक उक्त तिथि के अलावे अन्य तिथि को अनुपस्थित रहना कर्तव्यहीनता की गंभीर श्रेणी में आता है। अतएव यह आरोप प्रमाणित होता है।

पुनरीक्षण उपरांत यह पाया जाता है कि आरोपी पदाधिकारी पर गठित तीनों आरोप सत्य एवं प्रमाणित होते हैं।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-728(नि0को0) दिनांक-31.10.2019 एवं सर्विस अपील सं0-33/2019-20 सुनील कुमार भंडारी बनाम प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पारित आदेश को निरस्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-139 के तहत श्री सुनील कुमार भंडारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आजमनगर, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके "पेंशन राशि से 5% पेंशन की कटौती 03(तीन) वर्षों के लिए" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक- नि0को0 कटिहार-59/2014

(नि0को0)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्ता, कटिहार एवं रोहतास/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना(मूल प्रति में)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार एवं रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक- नि0को0 कटिहार-59/2014-.....(नि0को0)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- श्री सुनील कुमार भण्डारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, आजमनगर, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त (गृह पता-ग्राम+पो0-गणपतगंज, थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल, पिन-852109) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- नि0को0 कटिहार-59/2014-.....1525.....(नि0को0)/रा0, पटना-15, दिनांक-16/09/20

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।